COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920

(1920 का अधिनियम संख्यांक 14)

[20 मार्च, 1920]

**पूर्त और धार्मिक न्यासों के प्रशासन पर अधिक
प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिए
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम**

पूर्त और धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किए गए न्यासों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना और कुछ विषयों की बाबत ऐसे न्यासों के न्यासियों को, किसी न्यायालय से निदेश अभिप्राप्त करने के लिए, समर्थ बनाना और ऐसे न्यासों के न्यासियों के विरुद्ध कुछ वादों में उपगत व्यय के संदाय के लिए विशेष उपबन्ध करना, समीचीन है ;

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 है ।

(2) इसका विस्तार[1], [2][जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर*] सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु [3][किसी राज्य की सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग का विस्तार [4][उस राज्य या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर] या किसी विनिर्दिष्ट न्यास या विनिर्दिष्ट वर्ग के न्यासों पर नहीं होगा ।

2. निर्वचन—इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, "न्यायालय" से जिलाधीश का न्यायालय [5][या ऐसा कोई अन्य न्यायालय अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार ने उस निमित्त सशक्त किया है] और इसके अन्तर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय भी है ।

3. पूर्त या धार्मिक प्रकृति के न्यासों के सम्बन्ध में न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति—इस अधिनियम में इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, किसी ऐसे अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास में, जो पूर्त या धार्मिक प्रकृति के किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सृष्ट किया गया है या विद्यमान है, हित रखने वाला व्यक्ति ऐसे किसी न्यायालय को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर न्यास की विषय-वस्तु का कोई सारभूत भाग स्थित है, अर्जी द्वारा आवेदन करके ऐसा आदेश अभिप्राप्त कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई निदेश समाविष्ट होगा, अर्थात् :—

(1) न्यासी को यह निदेश, कि वह न्यायालय की मार्फत अर्जीदार को न्यास की प्रकृति और उद्देश्यों तथा न्यास की विषय-वस्तु के मूल्य, दशा, प्रबन्ध और उपयोग तथा उससे होने वाली आय या इनमें से किसी विषय से सम्बन्धित विशिष्टियां दें, और

(2) यह निदेश, कि न्यास के लेखाओं की परीक्षा और संपरीक्षा की जाएगी :

परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी लेखे के सम्बन्ध में किसी निदेश के लिए आवेदन नहीं करेगा जो अर्जी की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित है ।

---

[1] इस अधिनियम का बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर विस्तार और उड़ीसा हिन्दू धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1939 (1939 का उड़ीसा अधिनियम सं० 4) द्वारा उड़ीसा में निरसन किया गया । इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक कि वे बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम सं० 13) के उपबंधों से असंगत है, बंगाल में किसी वक्फ सम्पत्ति पर लागू नहीं होते, देखिए उस अधिनियम की धारा 81 ।

इस अधिनियम का 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर, 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर और 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर लागू होने के लिए विस्तार किया गया ।

यह अधिनियम, खोण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमल जिले में; और आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में प्रवृत्त घोषित किया गया ।

यह अधिनियम किसी ऐसे वक्फ को जिसे वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) लागू होता है, लागू नहीं होगा ।

यह अधिनियम 1959 के राजस्थान अधिनियम सं० 42 द्वारा यथासंशोधित रूप में राजस्थान पर लागू किया गया । यह अधिनियम, 1959 के मद्रास अधिनियम सं० 22 द्वारा मद्रास राज्य पर प्रवर्तनीय नहीं रहा ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "किसी विनिर्दिष्ट प्रान्त या क्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1923 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

4. अर्जी की अंतर्वस्तु और सत्यापन—(1) अर्जी में यह दर्शित किया जाएगा कि अर्जीदार किस प्रकार न्यास में हितबद्ध होने का दावा करता है और उसमें, यथाशक्य, उन विशिष्टियों तथा संपरीक्षाओं को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन्हें अभिप्राप्त करने का उसका आशय है ।

(2) अर्जी लिखित रूप में होगी और उसे उसी रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा जो वादपत्रों को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में विहित की गई है ।

5. अर्जी पर प्रक्रिया—(1) यदि न्यायालय की धारा 3 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर तथा ऐसा कोई साक्ष्य लेने और ऐसी कोई जांच, यदि कोई है, करने के पश्चारत् जैसी वह आवश्यक समझे, यह राय है कि जिस न्यास से अर्जी सम्बन्धित है उसे यह अधिनियम लागू होता है और अर्जीदार का उसमें कोई हित है तो वह अर्जी की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा और इस प्रकार नियत की गई तारीख की सूचना के साथ ऐसी अर्जी की एक प्रति न्यासी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कराएगा जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि उसे ऐसी अर्जी की सूचना दी जानी चाहिए ।

(2) अर्जी की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या पश्चात्वर्ती ऐसी किसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, न्यायालय अर्जीदार और न्यासी को, यदि वह उपसंजात होता है तथा ऐसे किसी व्यक्ति की, जो सूचना के परिणामस्वरूप उपसंजात होता है या जिसकी सुनवाई करना न्यायालय उचित समझता है, सुनवाई करेगा तथा वह ऐसी आगे जांच, यदि कोई है, करेगा जैसी वह ठीक समझे । न्यासी, प्रथम सुनवाई के समय या ऐसे किसी समय के भीतर, जो न्यायालय अनुज्ञात करे, अपने मामले का लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा और इस बाबत न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाने पर, प्रस्तुत करेगा । यदि वह कोई लिखित कथन प्रस्तुत करता है तो उसे उसी रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा । जो अभिवचनों को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1905 का 5) में विहित की गई है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति अर्जी की सुनवाई के समय उपसंजात होता है और या तो न्यास के विद्यमान होने से इंकार करता है या इस बात से इंकार करता है कि वह ऐसा न्यास है जिसे यह अधिनियम लागू होता है और यह वचन देता है कि वह उस प्रकार की घोषणा और किसी अन्य समुचित अनुतोष के लिए, कोई वाद तीन मास के भीतर संस्थित कर देगा तो न्यायालय कार्यवाही रोक देगा और यदि ऐसा वाद इस प्रकार संस्थित कर दिया जाता है तो ऐसी रोक को तब तक के लिए जारी रखेगा जब तक कि वाद अन्तिम रूप से विनिश्चित नहीं हो जाता ।

(4) यदि ऐसा कोई वचन नहीं दिया जाता है या तीन मास के अवसान तक कोई वाद-संस्थित नहीं किया जाता है तो प्रश्न का विनिश्चय स्वयं न्यायालय करेगा ।

(5) उपधारा (2) में उपबन्धित जांच पूरी हो जाने पर, न्यायालय या तो अर्जी खारिज कर देगा या उसकी बाबत ऐसा अन्य आदेश करेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु जहां कोई वाद उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार संस्थित कर दिया जाता है, वहां न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जो ऐसे वाद में किए गए अन्तिम विनिश्चय के प्रतिकूल है ।

(6) इस धारा में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय न्यायालय, अर्जीदार और ऐसे किसी व्यक्ति के बीच, जो न्यास के प्रतिकूल हक का दावा करता है, हक के किसी प्रश्न का विचारण या अवधारण नहीं करेगा ।

6. धारा 5 के अधीन आदेश का अनुपालन करने में न्यासी का असफल होना—यदि न्यासी धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में बिना किसी उचित हेतु के असफल रहेगा तो ऐसे न्यासी के बारे में, किसी ऐसी अन्य शास्ति या दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपगत करे, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा न्यास भंग किया है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 92 के उपबन्धों के अधीन वाद के लिए आधार प्रस्तुत करता है और ऐसा कोई वाद, जहां तक कि वह ऐसी असफलता पर आधारित है, महाधिवक्ता की पूर्व सहमति के बिना संस्थित किया जा सकेगा ।

7. निदेशों के लिए आवेदन करने की बाबत न्यासी की शक्तियां—(1) इस अधिनियम में इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास का, जो पूर्त या धार्मिक प्रकृति के किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सृष्ट किया गया है या विद्यमान है, न्यासी ऐसे न्यायालय को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर न्यास की विषय-वस्तु का कोई पर्याप्त भाग स्थित है, न्यास सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर न्यायालय की राय, सलाह या निदेश लेने के लिए अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और उस पर न्यायालय, यथास्थिति, अपनी राय, सलाह या निदेश दे सकेगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे किसी प्रश्न पर अपनी राय, सलाह या निदेश देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसे वह संस्थित निपटारे के लिए उचित प्रश्न नहीं समझता ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अर्जी पर न्यायालय या तो अपनी राय, सलाह या निदेश तुरन्त दे सकता है या अर्जी की सुनवाई के लिए कोई तारीख नियत कर सकता है और यह निदेश दे सकता है कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना सहित ऐसी अर्जी की एक प्रति, न्यास से हितबद्ध ऐसे व्यक्तियों पर तामील की जाए या जानकारी के लिए ऐसी रीति में प्रकाशित की जाए जो वह ठीक समझे ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) उपधारा (2) के अधीन नियत किसी तारीख को या पश्चात्वर्ती ऐसी किसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, न्यायालय कोई राय, सलाह या निदेश देने से पूर्व, ऐसे सभी व्यक्तियों को जो अर्जी के सम्बन्ध में उपसंजात हों, सुनवाई का उचित अवसर देगा ।

(4) यदि कोई न्यासी, उपधारा (1) के अधीन किसी अर्जी में न्यास से सम्बन्धित किसी विषय के तथ्यों का सद्भावपूर्वक कथन करता है और उस पर न्यायालय द्वारा दी गई राय, सलाह या निदेश के अनुसार कार्य करता है तो उसके बारे में, जहां तक कि उसकी स्वयं की जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, यह समझा जाएगा कि उसने उस विषय में जिसके सम्बन्ध में अर्जी दी गई थी, ऐसे न्यासी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है ।

8. इस अधिनियम के अधीन अर्जी का खर्च—इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन किसी अर्जी के और उससे सम्बद्ध सभी कार्यवाहियों के तथा उसके अनुषंगी सभी खर्च, प्रभार और व्यय न्यायालय के विवेकाधीन होंगे । न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे सम्पूर्ण खर्च, प्रभार और व्यय की या उसके किसी भाग की पूर्ति उस न्यास की सम्पत्ति या आय से की जाए जिसके सम्बन्ध में अर्जी दी गई है या उसका वहन और संदाय ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश अर्जीदार से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जाएगा जिसे अर्जी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और उस बाबत उसे सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं मिला है ।

9. व्यावृत्ति—किसी न्यास के सम्बन्ध में इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन कोई अर्जी निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में ग्रहण नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि वाद, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार संस्थित किया गया है और वह प्रश्नगत न्यास के सम्बन्ध में लम्बित है;

(ख) यदि न्यास-सम्पत्ति पूर्त विन्यास के कोषपाल में या महाप्रशासक में या शासकीय न्यासी में या ऐसी किसी सोसाइटी में निहित है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; और

(ग) यदि न्यास-सम्पत्ति के प्रशासन के लिए कोई स्कीम सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा तय या अनुमोदित कर दी गई है जो किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है ।

10. पूर्त और धार्मिक न्यासों के न्यासियों के विरुद्ध कुछ वादों में खर्च के बारे में न्यायालयों की शक्ति—(1) यदि धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20) की धारा 14 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 92 के अधीन संस्थित किए गए किसी वाद में वाद का विचारण करने वाले न्यायालय का वादी के आवेदन पर और प्रतिवादी की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई आदेश लोकहित में आवश्यक है तो वह प्रतिवादी को यह निदेश दे सकेगा कि वह या तो ऐसे वाद को संस्थित करने और उसे चलाने में वादी द्वारा उपगत व्यय के लिए या ऐसे किसी व्यय के लिए जिसका उसके द्वारा उपगत किया जाना सम्भाव्य है, प्रतिभूति प्रस्तुत करे या न्यास के, जिससे वाद सम्बन्धित है, न्यासी के रूप में हस्तगत धन में से, ऐसी किसी राशि का निक्षेप करे जो ऐसा न्यायालय ऐसे व्यय को पूर्णत: या भागत: पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसार कोई धन निक्षिप्त कर दिया जाता है तो न्यायालय वाद के संचालन के लिए ऐसी पूर्ण राशि या उसका कोई भाग वादी को सौंप सकेगा । वादी को ऐसी कोई राशि सौंपने से पहले, न्यायालय वादी से उस दशा में उस धन के प्रतिदाय के लिए प्रतिभूति लेगा जब ऐसा न्यायालय उसके प्रतिदाय के लिए वाद में आदेश करता है ।

11. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का लागू होना—(1) निम्नलिखित के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के सभी उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों को लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) शपथपत्र द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) दस्तावेजों को पेश करना; और

(घ) कमीशन निकालना,

और संहिता में समन की तामील के बारे में उपबन्ध अधिनियम के अधीनसूचनाओं की तामील को लागू होंगे ।

(2) डिक्रियों के निष्पादन के बारे में उक्त संहिता के उपबन्ध, जहां तक कि वे लागू हो सकें, इस अधिनियम के अधीन आदेशों के निष्पादन को लागू होंगे ।

12. अपीलों का वर्जन—इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश या दी गई किसी राय, सलाह या निदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।[1]

———

[1] पश्चिमी बंगाल पर लागू करने के लिए इस अधिनियम में एक नई धारा 13 यह उपबंध करते हुए अंत:स्थापित की गई कि इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक कि वे बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम सं० 13) के उपबंधों से असंगत हैं, बंगाल में किसी वक्फ सम्पत्ति पर लागू नहीं होंगे, देखिए बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 की धारा 81 ।